



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6800 वर्ष 2026

देव सिंह एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जय किशन, विपिन कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 225 वर्ष 2026, धारा 109(1), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है; इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 26.05.2026 को आवेदकगण तथा 20 अन्य सह-अभियुक्तों एवं 8-10 अज्ञात पुरुष एवं महिला व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई थी। प्राथमिकी पुलिस द्वारा अंकित की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो पक्ष एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे। इस प्रकरण में दूसरे पक्ष से किसी को कोई चोट नहीं आई। किसी को भी आग्नेयास्त्र से चोट नहीं आई। आवेदकगण की ओर से तीन व्यक्तियों, अर्थात् धर्मवीर सिंह, बॉबी उर्फ ज्ञानदीप और मोहर सिंह को अपने शरीर पर साधारण चोटें आईं। ऐसी कोई चोट नहीं है जो जीवन के लिए खतरनाक या गंभीर प्रकृति की हो। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता है। धारा 109(1) का आवेदकगण को कारागार में रखने के लिए गलत एवं अवैध रूप से प्रयोग किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी में सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। आवेदकगण को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक संख्या 1 के दो मामलों के आपराधिक पूर्ववृत्त को अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 18 तथा अनुपूरक शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक संख्या 2 एवं 3 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

7. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़ देना आदि, पर विचार करना होगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को अधिरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है या नहीं, यह विवेक का विषय है।

8. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय वाद 676** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो जाती है या यह कोई जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की जानी ही चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरे समय विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:

(i) उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- **देव सिंह, भंवर सिंह एवं अतेंद्र** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के दो-दो जमानतदारों के साथ रु.50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करते हैं।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचक के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित किया जाएगा, विवेचक के समक्ष उपस्थित होंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, शासकीय अधिवक्ता/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकगण को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।